न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 245/21

प्रार्थीगण :– 1. कानाराम पुत्र सरदाराराम भील साकिन सांभरा
2. मांगीलाल पुत्र गुलाबराम कौम भील साकिन मंडापुरा
3. श्रीमती मांगी देवी पत्नी ताराराम कौम भील साकिन कलावा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये साल्ट डिपार्टमेंट लवण विभाग, डीडवाना जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

आदेश दिनांक :– 17.6.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 25 बीघा रकबा 04–09 बीघा ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है।जिससे लगती हुई विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 290/27 रकबा 2171–11 बीघा आई हुई है । प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि मे से होकर गुजरना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी से दरसाए अनुसार है। विप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन कर उसे अवरूद्व कर दिया जाता है । बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर दिया जाता है । जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु कृषि सयंत्र एवं ट्रेक्टर आदि अपने खेत में ले जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। बावजूद नोटिस तामील के विप्रार्थी अनुपस्थित रहा । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074–77 एवं विप्रार्थी की भूमि [illegible] रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की। आवेदन के तथ्यों [illegible] मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:12:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी ।

उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 290/27 रकबा 2171–11 बीघा में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन में अपने अड़चने

डालने पर प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया ।प्रार्थी ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 25 रकबा 04–09 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थीगण के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि की लम्बाई 317 फीट, चौडाई 30 फीट एवं रकबा 0–12 बीघा है । विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 490140/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 5,88,168/– रूपये बनती है, जो प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 25 बीघा रकबा 04–09 बीघा से सडक तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 290/27 रकबा 2171–11 बीघा में से, तहसीलदार पचपदरा द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2022/46 दिनांक 21.4.2022 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित 30 फीट चौडी व 317 लम्बी भूमि, प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 5,88,168/– अदा करने, और उसके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार खसरा संख्या 290/27 रकबा 2171–11 बीघा भूमि में से 0–12 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/202[illegible] ... 21.4.2022 प्रेषित मौका फर्द में दिया गया नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग ...

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 17.6.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:12:31 IST
Reason: SelfAttested